

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी
1. गुरसेवकसिंह पुत्र रणधीरसिंह 2. जसदीपसिंह पुत्र दर्शनसिंह 3. सुखप्रीतकौर
पत्नी दर्शनसिंह 4. रणधीरसिंह पुत्र किकरसिंह 5. मलकीतकौर पत्नी रणधीरसिंह
समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.) 6. कर्ण कुमार 7. दुष्यत कुमार पि. महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी
नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 8. राजविन्द्र कौर पत्नी
वकीलसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)

— वादीगण

बनाम

1. गोविन्द कौर पत्नी तेजासिंह 2. जगसीरसिंह पुत्र मखनसिंह 3. बिन्द्रकौर पुत्री
मखनसिंह 4. लखविन्द्र सिंह पुत्र बलकरणसिंह 5. सोमासिंह पुत्र करतारसिंह 6.
बलकरणसिंह पुत्र तारासिंह 7. बीकरसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 8. प्रकाशसिंह पुत्र
हरचन्दसिंह 9. सिंगारासिंह पुत्र जमीतसिंह 10. सुखविन्द्रसिंह पुत्र राजसिंह
समस्त जाति जटसिख निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.) 11. सतवीरकौर पुत्री राजसिंह पत्नी स्वर्णसिंह 12. गुड्डी पुत्री तेजासिंह
पत्नी करतारसिंह 13. बन्तीकौर पुत्री तेजासिंह पत्नी टेकसिंह जाति जटसिख
निवासी वार्ड नं.4, संगत मंडी, तहसील संगत मंडी जिला बठिण्डा (पंजाब) 14.
बेअन्तकौर पुत्री तेजासिंह पत्नी फलेलसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं.4,
गांव वांडी, तहसील संगत मंडी जिला बठिण्डा (पंजाब) 15. तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 138-2022

निर्णय दिनांक 23.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वकील वादीगण
तथा राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है कि वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.
डिक्री/भू.अ./024/3157 दिनांक 22.08.2024 की रिपोर्ट के मुताबिक निम्नानुसार डिक्री
दी जाती है -

चक 4 आई.डी.जी. जमाबंदी संवत् 2071-74 खाता सं. 55/53

क- वादी सं. 1 व 2 के ब.हि.ब. 0.885 हि., वादी सं. 2 के 0.506 हि., वादी संख्या 3 व 5
के ब.हि.ब. 3,289 हि., वादी संख्या 4 के 0.127 हि. के आधिपत्य एवं काश्त की
कृषि भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
141/125	22	12,19,22/ .253 है.प्र.
141/126	27	2/ .253, 4/0.253, 7ता9/ .253 है.प्र. 12ता14, 16ता19/ .253 है.प्र. 22ता24/ .253 है.प्र., 25/ .253 है.

कुल 4.807 है. नहरी

ख- वादी सं. 6 व 7 के ब.हि.ब. आधिपत्य एवं काश्त की कृषि भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
141/126	27	10/1/0.215 है., 10/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता 11/1/0.215 है., 11/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता 20/11/0.215 है., 20/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ग- वादी सं. 8 के आधिपत्य एवं काश्त की कृषि भूमि कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 प.नं. मु.नं. किला नं.
 140 / 125 23 7.14 / .253 है.प्र.


घ- गुरदेव कौर 0.345 है., गोविन्द कौर 0.037 है. पत्नियां तेजासिंह, गुडडी 0.506 है. नहरी
 बन्ती कौर 0.379 है., बेअन्तकौर 0.379 है., बलकरणसिंह, गुडडी 0.379 है.,
 जरादिन्द्र कौर पत्नी राजसिंह 0.126 है., सुखविन्द्रसिंह पुत्र राजसिंह 0.127 है.,
 सतवीर कौर पुत्री राजसिंह 0.126 है., जसमेल कौर पत्नी जमीतसिंह 1.518 है.,
 सिंगारासिंह पुत्र जमीतसिंह 3.795 है., जगसीरसिंह पुत्र मखनसिंह 0.759 है.,
 बिन्दकौर पुत्री मखनसिंह 1.265 है.

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
140 / 125	23	15 ता 18, 22 ता 25 / .253 है.प्र.
140 / 126	26	2 ता 5, 7 ता 9, 11 ता 24 / .253 है.प्र.
141 / 125	22	4,7,13,14 / .253 है.प्र.
		17,18, 23, 24 / .253 है.प्र.
141 / 126	27	3 / .253 है.

कुल 9.614 है. नहरी कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.)
 संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री / मू.अ. / 024 / 3157 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त
 विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना
 वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे
 के अन्य पक्षकारों का अमल-दरामद कर दिया जावे।

निज मुस्लिम बाबत खर्चा मुकदमें के मय शूद वा
 शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक
 23.08.2024 को जारी की गयी।


 (राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलक्टर एवं सप्लाइंग अधिकारी (राजस्व)
 उपसंगरियाधिकारी
 संगरिया